
	<p>आयुक्त का कार्यालय / Office of The Commissioner केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा-II आयुक्तालय, CGST &amp; Central Excise, Vadodara-II Commissionerate, सुभानपुरा, वडोदरा- 390023 Subhanpura, Vadodara - 390 023 Phone : 0265-2388166 / Fax : 0265-2388243 Email: estt.vadodra2@gmail.com</p>	
---	---	---

**स्थापना आदेश सं. 16/2023 वडोदरा, दिनांक 19.04.2023**  
**Establishment Order No. 16/2023 Vadodara, dated 19.04.2023**

**Subject: Grant of Financial up gradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for the Central Government Civilian Employees - reg.**

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं.35034/3/2008-स्थापना(डी) दिनांक 19.05.2009, 35034/3/2015-स्थापना(डी) दिनांक 27.09.2016 एवं 35034/3/2015-स्थापना(डी) दिनांक 22.10.2019 के निर्देशों/स्पष्टीकरणों के अनुसरण में केन्द्रीय जी. एस. टी. एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा-II आयुक्तालय के निम्नलिखित अधिकारियों को संशोधित सुनिश्चित कार्यकाल प्रगति (एम.ए.सी.पी.) योजना के अंतर्गत प्रथम / द्वितीय / तृतीय वित्तीय उन्नयन उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

In pursuance to the guidelines/instructions contained in Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), New Delhi's O.M. No.35034/3/2008-Estt(D) dated 19.05.2009, No.35034/3/2015-Estt(D) dated 27.09.2016 and No.35034/3/2015-Estt(D) dated 22.10.2019, the under-mentioned officers are hereby granted 1st / 2nd / 3rd Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme w.e.f. dates mentioned against their names:

क्र. सं. Sr. No.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम Name of the officer and Designation (श्री/Shri)	1st/2nd/3rd एम.ए.सी.पी. के लिए देय Due for 1st / 2nd / 3rd MACP	एम.ए.सी.पी. से पूर्व वेतन लेवल Pay Level Before MACP	७वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन लेवल एवं प्रभावी वित्तीय उन्नयन की तिथि Pay Level after MACP and effective date as per 7 <sup>th</sup> CPC
1	रोहिताश्व मीना, सहायक आयुक्त (इन-सीटू) Rohitashwa Meena, AC (in-situ)	3rd MACP	Level 9	Level - 10 w.e.f. 23.09.2016
2	उमेशचन्द्र के. दास, सहायक आयुक्त (इन-सीटू) Umeshchandra K. Das, AC (in-situ)	3rd MA CP	Level 9	Level - 10 w.e.f. 26.10.2021
3	अमिताभ जाला, अधीक्षक Amitabh Jala, Superintendent	3rd MACP	Level 9	Level - 10 w.e.f. 14.06.2022
4	जैनेन्द्र कुमार, अधीक्षक Jainendra Kumar, Superintendent	3rd MACP	Level 9	Level - 10 w.e.f. 01.07.2022





5	सादिक ए. खिल्जी, अव्वर थ्रेणी लिपिक Sadig A Khilji, LDC	3rd MACP	Level 3	Level - 4 w.e.f. 24.06.2022
6	अमीरभाई डी. वसावा, हेड हवलदार Amirbhai D. Vasava, Head Havaladar	3rd MACP	Level 3	Level - 4 w.e.f. 18.06.2022
7	जितेन्द्र एन. वाघेला, हेड हवलदार Jitendra N. Vaghela, Head Havaladar	3rd MACP	Level 3	Level - 4 w.e.f. 19.06.2022
8	कनकसिंह बी. चौहान, हेड हवलदार Kanaksinh B. Chauhan, Head Havaladar	3rd MACP	Level 3	Level - 4 w.e.f. 22.06.2022
9	संजय टी. मेहता, हेड हवलदार Sanjay T. Mehta, Head Havaladar	3rd MACP	Level 3	Level - 4 w.e.f. 22.06.2022
10	जयेंद्र एस. राणा, हेड हवलदार Jayendra S. Rana, Head Havaladar	3rd MACP	Level 3	Level - 4 w.e.f. 22.06.2022
11	प्रकाश रतिलाल पटेल, हेड हवलदार Prakash Ratilal Patel, Head Havaladar	3rd MACP	Level 3	Level - 4 w.e.f. 17.06.2022
12	मोहम्मद अस्लम ए. मलेक, हेड हवलदार Mohammed Aslam A. Malek, Head Havaladar	3rd MACP	Level 3	Level - 4 w.e.f. 22.06.2022

2. उपरोक्त अधिकारियों को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय उन्नयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

Financial Up-gradation under the MACP Scheme granted to the above officers are subject to, inter alia, the following conditions:

- (i) एम.ए.सी.पी. योजनाकेवल अनुशंसित संशोधित वेतन स्तर के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्च वेतन स्तर में व्यक्तिगत आधार पर नियुक्ति पर विचार करती है। वित्तीय लाभ कर्मचारियों की वास्तविक/कार्यात्मक की स्थिति के अनुदान की कल्पना के लिए राशि देय नहीं होगी।

The MACP Scheme contemplates merely placement on personal basis in the immediate next higher Pay Level in the hierarchy of the recommended revised Pay Level. Grant of financial benefits shall not amount to actual/functional promotion of the employees concerned.

- (ii) एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए नियमित सेवा सीधे ग्रेड में प्रवेश की तारीख से नियमित आधार पर या सीधे भर्ती के आधार पर या अवशोषण/पुनः रोजगार के आधार पर शुरू होगी।

Regular service for grant of benefits under MACP Scheme shall commence from the date of entry indirect grade on a regular basis either on direct recruitment basis or on absorption/re-employment basis.

- (iii) वित्तीय उन्नयन के अनुदान पर, पदनाम/वर्गीकरण या उच्च स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ, जैसे कि HBA जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन, सरकारी आवास के आवंटन से जुड़े हैं, की अनुमति होगी।



On grant of financial up-gradation, there shall be no change in the designation/classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Government accommodation shall be permitted.

- (iv) एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय नियमित पदोन्नति पर उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ भी दिया जाएगा। इसलिए, वेतन का भुगतान इस तरह के उन्नयन से पहले वेतन स्तर में कुल वेतन का 3% होगा। हालाँकि, यदि नियमित पदोन्नति एम.ए.सी.पी. योजना के समान ही ग्रेड पे में हो तो वेतन का कोई और निर्धारण नहीं किया जाएगा।

Benefit of pay fixation available at the time regular promotion shall also be allowed at the time of financial up-gradation under the MACP Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay level drawn before such up-gradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion, if it is in the same grade pay as granted under MACP Scheme.

- (v) ए.सी.पी. योजना के तहत पदोन्नति / वित्तीय उन्नयन में अनुदान के भुगतान के निर्धारण के संबंध में, लाभार्थी के पास FR 22(1)(a)(1) के तहत एक विकल्प है कि उसके पदोन्नति/उन्नयन की तिथि या उसके अगले वेतन वृद्धि की तिथि या उच्च पद / वेतन स्तर में से अपना वेतन प्राप्त कर सके। वेतन और वेतन वृद्धि व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/2008-1C दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय की जाएगी।

With regard to fixation of pay on grant of promotion/financial up-gradation under, ACP Scheme, beneficiary has an option under FR 22(1)(a)(1) to get his pay fixed in the higher post/pay level either from the date of his promotion/ up-gradation or from the date of his next increment viz. 1<sup>st</sup> July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No.2 of Department of Expenditure's OM No.1/1/2008-1C dated 13.09.2008.

- (vi) एम.ए.सी.पी. योजना व्यक्तिगत आधार पर संबंधित कर्मचारियों को केवल उच्चतर वेतन स्तर/वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए विचार करती है और वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति के लिए राशि नहीं देगी।

The MACP Scheme contemplates merely placement on personal basis in the immediate higher Pay Level/grant of financial benefits only and shall not amount to actual/functional promotion of the employees concerned.

- (vii) एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उसकी वरिष्ठता की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इस प्रकार, इस आधार पर वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए, उनके कनिष्ठ कर्मचारी को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन दिये जाने पर, कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा।

Financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such, there shall be no additional financial up-gradation for the senior employees on the ground that the junior employee in the grade has got higher pay/grade pay under the MACP Scheme.

- (viii) एम.ए.सी.पी. योजना के तहत दिए गए वेतन स्तर कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर टर्मिनल लाभों के निर्धारण के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा।

Pay drawn in the pay level allowed under the MACP Scheme shall be taken as the basis for determining the terminal benefits in respect of the retiring employee.

- (ix) वित्तीय उन्नयन ठहराव के कारण दिया गया है और यदि कर्मचारियों ने बाद में पदोन्नति से इनकार किया तो यह वित्तीय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा। हालाँकि, उसे तब तक आगे के वित्तीय उन्नयन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह फिर से पदोन्नति के लिए विचार



करने के लिए सहमत नहीं हो जाता है और अगले वित्तीय उन्नयन को अस्वीकार करने के कारण विचलन की अवधि की सीमा तक स्थगित कर दिया जाएगा।

Financial upgradation has been allowed due to stagnation and if the employees subsequently refuse the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

3. संबंधित आहरण अधिकारी वित्तीय उन्नयन के लाभ की अनुमति देने से पहले अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड से अनुमत वित्तीय उन्नयन की नियत तारीख की जांच सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई विसंगति हो, तो इस कार्यालय के ध्यान में लाया जाए। इसके अलावा, यह पता लगाया जा सकता है कि एम ए सी पी की पात्रता की नियत तारीख पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई सतर्कता का मामला लंबित या चिंतनशील नहीं है, और इसे इस कार्यालय के संज्ञान में लाया जाए।

The concerned DDOs shall check and ensure the correctness of the due date of financial upgradation allowed from the service records of the officers before allowing benefit of financial upgradation. Discrepancy noticed, if any, should be brought to the notice of this office. Further, it may be ascertained that there is no vigilance case pending or being contemplated against the officers concerned on the due date of eligibility of MACP, and same may be brought to the notice of this office.

4. यह आदेश आयुक्त, केंद्रीय जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा-II के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Commissioner, CGST and Central Excise, Vadodara-II.

5. यदि इस आदेश के हिन्दी व अंग्रेजी संस्करणों के बीच कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण सभी प्रकार से नियंत्रित करेगा और अभिभावी होगा।

In case of any inconsistencies in Hindi and English versions of this order, the English version shall be controlling in all respects and shall prevail.

(एन. सृजन कुमार)  
संयुक्त आयुक्त (का. व स.)

फा.सं. II/39-05/2022-स्थापना

वडोदरा, दिनांक 19.04.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.), केंद्रीय जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र
2. सभी उप / सहायक आयुक्त, केंद्रीय जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा-II
3. मुख्य लेखा अधिकारी, केंद्रीय जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा-II
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा
5. अधीक्षक (सतर्कता), केंद्रीय जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा-II
6. व्यक्तिगत / गार्ड / पोस्टिंग फ़ाइल